

11/03/25 - पत्रावली पेशा हुई। वकील वादी अनुपस्थित
वकील वादी/वादी को बार-बार,
कल-कल न्यायालय समय में
आवाजे लगवाई गई। बावजूद वकील
वादी/वादी की ओर से कोई उपस्थित
नहीं हुआ। अतः वकील वादी/वादी
का वाद अदम हाजरी, अदम
पेशी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली दर्ज नम्बर से कम है,
फैसल सुमार होकर काबिल दफ्तर
है। निर्णय आज दिनांक 11/3/25
को सरे इजलास सुनाया गया।

सदर जज
जयपुर शहर प्रयाग